प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **06/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Narendra Singhvi Add: 66-K, Singhvi house, first floor, inside saheliyon ki bari, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बारापाल, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10/2/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329870155656924 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 8066910424 दिनांक 07.01.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/06/25/13–14 दिनांक 07.01.2025 से लिखा गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बारापाल द्वारा ना तो अपील का आदिनांक जवाब पेश किया गया है व ना ही उनके प्रतिनिधी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बारापाल के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सूचना नहीं देने का आरोप लगाया गया है। उक्त आवेदन में चाही गई सूचना पत्रावली या रिकार्ड से संबंधित ना होकर तहसील कार्यालय बारापाल द्वारा भूमि का सीमांकन की कार्यवाही के संबंधित है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा कोई सूचना नहीं चाही जाकर सीमांकन की कार्यवाही हेतु लिखा गया है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता हैं। अतः अपील

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी संबंधित कार्यालय में सीमांकन हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/2/25 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर